नकल आदेश दि० 27/8/12

उपजिलाधिकारी खुरजा

वाद संख्या-131/सन-2012 धारा-143 ज०वि० एवं भू०व्य० अधि०

सतनामी कंन्या विद्या प्रसार समिति———बनाम———सरकार

मौजा-रूकनपुर परगना व तहसील-खुरजा जिला-बुलन्दशहर।

## निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रूकनपुर संचालित सतनामी कन्या विद्यापीठ रूकनपुर द्वारा प्रबन्धक श्री देवेश कुमार पुत्र श्री नरेशचन्द निवासी ग्राम [illegible] खुर्द के प्राथना पत्र दिनांक25-06-2012 के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थी द्वारा अपने [illegible] में कहा है कि प्रार्थी की संस्था के नाम ग्राम रूकनपुर परगना व तहसील-खुरजा जिला बुलन्दशहर के खाता संख्या 140 गाटा संख्या-342/1.081हैक्टे0 मे से 0.506हैक्टे0 लगानी 09.36 रूपये का संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवं कुक्कुट पालन के कार्य में नही लाई जा रही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि स्थित ग्राम रूकनपुर परगना व तहसील-खुरजा जिला बुलन्दशहर के खाता संख्या 140 गाटा संख्या 342/1.081हैक्टे0 में से 0.606हैक्टे0 लगानी 09.36रूपये, को लगानमुक्त करते हुए, अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की जॉंच मौके पर तहसीलदार खुरजा से कराई गई। तहसीलदार खुरजा ने अपनी जॉंचाख्या दिनांक09-08-2012 में इंगित किया है कि ग्राम रूकनपुर परगना व तहसील-खुरजा जिला बुलन्दशहर के खाता संख्या 140 गाटा संख्या 342/1.081हैक्टे0 में से 0.606हैक्टे0 लगानी 09.36रूपये पर सतनामी कन्या विद्या प्रसार समिति रूकनपुर संचालित सतनामी कन्या विद्यापीठ रूकनपुर द्वारा प्रबन्धक श्री देवेश कुमार पुत्र श्री नरेशचन्द निवासी ग्राम [illegible] खुर्द, का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि अकृषिक प्रयोग में आ रही है जिसमें किसी भी प्रकार का कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवं कुक्कुट पालन का कार्य नही किया जा रहा है। अन्त में तहसीलदार खुरजा द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

मैंने वादी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कृषि प्रयोजन में नही आ रही है और न ही उक्त भूमि पर बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवं कुक्कुट पालन का कार्य नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे उक्त वादग्रस्त भूमि को, अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

ग्राम रूकनपुर परगना व तहसील-खुरजा जिला बुलन्दशहर के खाता संख्या 140 गाटा संख्या-342/1.081हैक्टे0 में से 0.506हैक्टे0 लगानी 09.36 रूपये, को ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत, अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। पत्रावली पर संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि 342 व जी0टी0रोड के बीच में ग्रामसमाज की भूमि है। यदि वादी द्वारा उक्त भूमि में निर्माण किया जाता है, तो उक्त ग्रामसमाज की भूमि को छोडकर ही निर्माण किया जाये। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक खुरजा व तहसीलदार खुरजा को अनुपालन हेतु भेजी जाये। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक:-27-08-2012

(डी0पी0सिंह)
उप जिलाधिकारी, खुरजा।

आज उक्त आदेश न्यायालय की मोहर व मेरे हस्ताक्षरों द्वारा जारी कर खुले न्यायालय में पढ़कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक:-27-08-2012

(डी0पी0सिंह)
उप जिलाधिकारी, खुरजा।